राजस्थान सरकार
राजस्थान राज्य उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग

हैण्डलूम हवेली, अशोक मार्ग, सी–स्कीम, जयपुर

वेबसाईट : rscdrc.food.rajasthan.gov.in, मेल आई.डी. raj-sforum@nic.in, दूरभाष 0141–2372237

क्रमांकः–एफ 5(13)रा.आ./स्था./स.बै./2018/ दिनांकः

कार्यालय आदेश

राजस्थान राज्य उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग, जयपुर की सर्किट बैंच, भरतपुर मुख्यालय पर दिनांक 18.09.2023 से कार्य प्रारम्भ करेगी। भारत सरकार द्वारा अधिसूचित विनियम, 2020 के नियन 9, 21 व 22 के तहत राज्य आयोग की सर्किट बैंच, भरतपुर में सम्पादित होने वाले कार्य यथा अपील, परिवाद, रिविजन एवं अन्य विविध प्रार्थना पत्र आदि प्रस्तुतिकरण एवं प्रस्तुत परिवाद एवं अपील आदि की जांच, सम्बन्धित पक्षकारान द्वारा प्रमाणित प्रतिलिपि, निर्णय की प्रति, आदि के लिए दिये गये प्रार्थना पत्र स्वीकार करने, प्रतियां जारी करने एवं नियमानुसार राशि प्राप्त करने हेतु अध्यक्ष, जिला उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग, भरतपुर को राज्य उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग सर्किट बैंच, भरतपुर का प्रभारी अधिकारी अन्य आदेश होने तक अधिकृत किया जाता है। अध्यक्ष, जिला आयोग भरतपुर द्वारा उक्त हेतु प्राप्त राशि को यथा नियम जी.ए. 55 में जमा कर उक्त राशि को रोकड बही में दर्ज कर, प्रत्येक माह के अन्त तक जमा हुई राशि को अगले माह की 05 तारीख तक राज्य उपभोक्ता कल्याण कोष के पक्ष में जयपुर में देय रेखांकित डिमाण्ड ड्राफ्ट द्वारा इस कार्यालय को भिजवाया जावें।

Sd/-
(अशोक कुमार शर्मा)
रजिस्ट्रार

क्रमांकः–एफ 5(13)रा.आ./स्था./स.बै./2018/ 1970 – 1977 दिनांकः 08.09.2023

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित हैः–

1. निजी सहायक, माननीय अध्यक्ष महोदय, राजस्थान राज्य उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग, जयपुर ।
2. निजी सहायक, रजिस्ट्रार, राजस्थान राज्य उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग, जयपुर।
3. निदेशक, उपभोक्ता मामले विभाग, राजस्थान, जयपुर ।
4. अध्यक्ष, जिला उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग, भरतपुर।
5. उप पंजीयक, राजस्थान राज्य उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग, जयपुर।
6. केशियर/लेखा शाखा, कार्यालय हाजा ।
7. रीडर, राज्य उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग, सर्किट बैंच भरतपुर को प्रेषित कर निर्देशित किया जाता है कि उक्त आदेश की पालना में राज्य आयोग सर्किट बैंच, भरतपुर में पृथक से रजिस्टर संधारित कर प्रविष्टियां करनें की कार्यवाही करें।
8. रक्षित पत्रावली ।

(अशोक कुमार शर्मा)
रजिस्ट्रार